

Re: Need to review the compensation for displaced villagers of Kusmi Tehsil in Sidhi Parliamentary Constituency due to Implementation of Project Tiger- laid

श्रीमती रीती पाठक (सीधी): मेरे संसदीय क्षेत्र सीधी के कुसमी अंतर्गत ग्राम पंचायत मझिगवा, भदौरा व रून्दा जो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के द्वारा विस्थापित है। इनके विस्थापन के प्रक्रिया की शुरुआत 21 फरवरी 2008 को तत्कालीन केंद्र सरकार के बाघ संरक्षण अधिनियम के तहत जारी आदेश से हुई एवं 13 अप्रैल 2017 को विस्थापन की घोषणा हुई। किन्तु उचित मुआवजा राशि न मिलने के कारण ग्रामीण जन विस्थापित होने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि वर्षों से उन्होंने इस गाँव में बहुत कुछ बनाया है; पेड़, वृक्ष, घर आदि। परंतु इस राशि से कहीं जमीन भी नहीं खरीदी जा सकती। शासन की कुछ योजनाओं का लाभ ग्रामवासियों को मिल रहा है परंतु केंद्र सरकार की दो महत्वपूर्ण योजनाएँ प्रधानमंत्री आवास व सौभाग्य योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ये तीनों पंचायतें आज भी विद्युत विहीन हैं और प्रधानमंत्री आवास तो गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है किन्तु इन योजनाओं से विस्थापित पंचायतों के निवासी वंचित हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है की उक्त विस्थापित ग्राम पंचायतों में पुनः मूल्यांकन कराकर उचित मुआवजा राशि दिलाने की कृपा करें।